वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 164/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ

दिनांक-05.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 05.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना देवगाव:दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

अवगत कराना है कि वादी विपिन गौड पुत्र स्व0 रामसमुझ गौड नि0ग्राम निकासीपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.05.2025 को ससुराली जन द्वारा दहेज की मांग से परेशान होकर वादी की लडकी नेहा उम्र करीब 26 वर्ष ससुराल मे पंखे से फन्दा लगाकर आत्म हत्या कर लेने जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध मे **मु0अ0सं0 149/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी भूपेष कुमार पाण्डेय द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.05.2025 को प्र0नि0 विमल प्रकाश राय मय हमराह द्वारा बहादुरपुर मोड़ ,गोसाईगंज के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त 1.मिठाईलाल गौड़ पुत्र नकछेद गौड़ 2.चन्द्रकला पत्नी मिठाईलाल गौड़ निवासीगण बरसेरवा थाना देवगांव जनपद आजमगढ** को समय करीब 22.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 149/25 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित थाना देवगाव जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1.मिठाईलाल गौड़ पुत्र नकछेद गौड़

2.चन्द्रकला पत्नी मिठाईलाल गौड़ निवासीगण बरसेरवा थाना देवगांव जनपद आजमगढ

02.थाना- जीयनपुरः पशु चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 02.05.2025 को आवेदक चेतू गोंड पुत्र चन्द्रभान ग्राम कादीपुर उर्फ रजादेपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता प्रार्थना पत्र दिये कि दिनांक 1.5.2025 को मेरी एक गाय जो घर के बगल मे चर रही थी, जो चोरी चली गयी हम लोग काफी तलास किये पता नही चला। पुनः दिनांक 02.05.2025 को मेरी एक राशि गाय हुलिया रंग लाल सिंग करीब एक फिट सीधी ऊपर को उचाई करीब चार फिट साहीवाल प्रजाति सुबह करीब सात बजे मेरे घर से कोई चुरा ले गया हम लोग काफी तलास किये तो मेरे गाँव के रहने वाली मन्जू गोंड पत्नी मंजन गोंड ने आकर बताया की ताल की तरफ हरखोरी के रहने वाला सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह तथा धनछुला का रहने वाला सूरज पुत्र सोनू उर्फ सुन्ना दोनो आप की गाय लेकर जा रहे थे मै सोची की आपने बेच दिया होगा। उसके बाद मै दोनो के घर पर गया तो दोनो घर पर नही मिले मुझे संका है कि जो गाय कल चोरी हुयी थी वह भी इन्ही दोनो लोगो ने चुराया है के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0स0 163/2025 धारा 303(2) BNS** थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1. सत्यम सिंह पुत्र मैनेजर सिंह निवासी ज हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.सूरज पुत्र सोनू उर्फ सुन्ना निवासी धनछुला .थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत हुयी जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।विवेचना के क्रम मुकदमा उपरोक्त मे **धारा 317(2)BNS की बढ़ोत्तरी** हुयी है। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 05.05.2025 को उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुरज पुत्र सुर्यनाथ उर्फ सोनू उर्फ सुन्नु उम्र 19 वर्ष नि0ग्राम धनछुला थाना जीयनपुर आजमगढ को दिनांक 05.05.2025 को समय करीब 11.35 बजे रजादेपुर तिराहा थाना जीयनपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः

1-सुरज पुत्र सुर्यनाथ उर्फ सोनू उर्फ सुन्नु उम्र 19 वर्ष नि0ग्राम धनछुला थाना जीयनपुर आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 163/2025 धारा 303(2) BNS बढ़ोतरी धारा 317(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

03.थाना- मेंहनगरः शादी का झांसा देकर सम्बन्ध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2025 को वादिनी की तहरीरी कि करीब ढाई वर्ष से अरविन्द यादव पुत्र दुधनाथ यादव ग्राम धरनीपुर रानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा वादिनी द्वारा शादी की करने की बात कहने पर शादी से इन्कार कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2025 धारा 69 BNS बनाम अरविन्द यादव पुत्र दुधनाथ यादव ग्राम धरनीपुर रानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 05.05.2025 को व0उ0 नि0 रंजय सिह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र दुधन यादव ग्राम धरनीपुर रानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को करौती तिराहा से समय 11.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- अरविन्द यादव पुत्र दुधन यादव ग्राम धरनीपुर रानीपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 174/2025 धारा 69 BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़

04.थाना रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.05.25 को **उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा कैची बन्धा के पास भुसउल बाजार ग्राम खेतापुर से समय करीब 02.20 बजे एक नफर **अभियुक्त संगम पुत्र राजनाथ निवासी खेतापुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़** उम्र करीव 22 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा .315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग¬-

1-मु0अ0सं0 158/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- संगम पुत्र राजनाथ निवासी खेतापुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीव 22 वर्ष।

बरामदगी-

1-एक अदद देशी तमंचा .315बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

05. थाना मुबारकपुरः दुसरे के स्थान पर डीएलएड की परीक्षा देने वाली अभियुक्ता सहित 02 गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 09.04.2025 को राजकीय इ0का0 जमुड़ी आजमगढ के प्रधानाचार्य श्री अंगद मौर्य पुत्र लालचन्द मौर्य निवासी ग्राम कुड़हनी थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा सूचना दी गयी कि विद्यालय मे डीएलएड के परीक्षा के दौरान सचलदस्ता के प्रभारी वीरेन्द्र प्रताप सिंह सहजिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ द्वारा अपनी टीम के साथ निरीक्षण के दौरान छद्म परीक्षार्थी के रूप मे रितू चौहान पुत्री मनमोहन चौहान निवासी कोकिलपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को पकड़ा गया जो किरन चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी सिरही सुरहिया थाना रौनापार आजमगढ के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। उक्त के सम्बन्ध मे प्रधानाचार्य राजकिय इ0का0 जमुड़ी द्वारा मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0 151/2025 धारा 319(2)/318(4) बीएनएस व 13(2) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0** पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 05.05.2025 को **उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्ता 1. रितू चौहान पुत्री मनमोहन चौहान निवासी कोकिलपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 2. किरन चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी सिरही सुरहिया थाना रौनापार आजमगढ** को सठियांव चौराहे के पास से प्रातः 08.05 बजे पकड़ लिया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1. रितू चौहान पुत्री मनमोहन चौहान निवासी कोकिलपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ
2. किरन चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी सिरही सुरहिया थाना रौनापार आजमगढ

06. थाना कप्तानगंज: साइबर फ्राड के 47,000 रूपया वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.02.25 को आवेदक राधेश्याम सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह ग्राम ककरही थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किसी अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा काल कर लिंक भेजकर आवेदक के क्रेडिट कार्ड से 48293 रूपये एमेजन पे के माध्यम से ट्रानस्फर करा लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना कप्तानगंज पर साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करायी थाने के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 23102250xxxxx है साइबर हेल्प डेस्क कप्तानंगज द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक का 47000 रू0 होल्ड करा दिया गया था। आवेदक का फ्राड हुआ पुरा 47000 रूपये वापस करा दिया गया है।

रूपया वापसी का विवरण:-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना कप्तानगंज के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी अर्खित श्रीवास्तव व महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्तव द्वारा आवेदक राधेश्याम सिंह पुत्र शिवप्रसाद सिंह के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से स्थानान्तरित हुए रूपयो की जाँच करते हुए तत्काल CRED कम्पनी को मेल कर उक्त आवेदक के क्रेडिट कार्ड से स्थानान्तरित हुए 48293 रूपयो में से 47000 रूपयो को होल्ड करा कर वापस आवेदक के क्रेडिट कार्ड में जमा कर दिया गया। आवेदक द्वारा अपने रूपये पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:

सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।

ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।

अन्जान नम्बरो से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय ले

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय थाना कप्तानगंज

2- उ0नि0 अमन तिवारी (साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना कप्तानगंज

3- क0आ0 ग्रेड बी अर्खित श्रीवास्तव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज

4- महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्वत (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानंगज

07.थाना-तहबरपुर: नौकरी व धन का लालच देकर धर्मान्तरण कराने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक के बगल के ग्राम रुद्रमनपुर में विपक्षीगण द्वारा अपने घर पर सत्संग के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने हेतु गाँव के 15 से 20 व्यक्ति जिसमे महिला व पुरुष को इकट्ठा कर नौकरी व धन आदि का लालच देकर विशेष धर्म के अराध्य को अपमानित करते हुए धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना , वादी व वादी के पुत्र अशोक यादव द्वारा विरोध करने पर जानमाल की धमकी देते हुए पैसे का प्रलोभन देते हुए धर्म परिवर्तन करने को कहने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 096/2025 धारा /5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूध्द धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व 351(3) भा0न्या0सं0 2023** बनाम 1.संतोष प्रजापति पुत्र फिरतू 2. अरविन्द पुत्र फिरतू निवासीगण ग्राम रुद्रमनपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ 3.पप्पू पासवान पुत्र स्व0 सुग्रीव ग्राम करखिया रूस्तम सराय थाना रौनापार आजमगढ़ 4. कमलेश पुत्र जिताराम ग्राम रामपुर अबुसईद थाना निजामाबाद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह विवेचना को सुपुर्द की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:

दिनांक 04.05.2025 को **व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह** मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वादी मुकदमा के निशान देही पर देखा कि सन्तोष प्रजापति के घर में सत्संग चल रहा है जहां कुछ महिलाएं व पुरूष 15-20 की संख्या में मौजूद थी जिसमें चार व्यक्ति घर में एक तरफ होकर सभी अपने हाथ में धर्म से सम्बन्धित व कागज की पर्ची व रजिस्टर लेकर मौजूद थे, जिनसे इनका नाम पता पूछा गया तो अपना नांम 1.सन्तोष प्रजापति पुत्र फिरतू, 2. अरविन्द पुत्र फिरतू निवासी गण ग्राम रूद्रमनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ 3. पप्पू पासवान पुत्र सुग्रीव निवासी ग्राम करखिया रूस्तम पुर सराय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 4. कमलेश पुत्र जिताराम निवासी ग्राम रामपुर अबुसईद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को समय करीब 21.35 हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धर्म सम्बन्धित कागज की पर्ची व पुस्तक बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1.सन्तोष प्रजापति पुत्र फिरतू निवासी ग्राम रुद्रमनपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष
2. अरविन्द पुत्र फिरतू निवासी ग्राम रूद्रमनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. पप्पू पासवान पुत्र सुग्रीव निवासी ग्राम करखिया रूस्तम पुर सराय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. कमलेश पुत्र जिताराम निवासी ग्राम रामपुर अबुसईद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0- 96/2025 धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूध्द धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व 351(3) भा0न्या0सं0 2023 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

12 अदद धर्म से सम्बन्धित किताब,
भजन आदि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के पुस्तकें, रजिस्टर व पर्ची बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह तहबरपुर जनपद आजमगढ़